

आदेश

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक 282 दिनांक 23.02.2015 के द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत लेखा परीक्षा नियम 2011 के तहत प्रखण्ड छत्तरपुर के पांच पंचायत खोदी, डाली, मड़वा, चिरु एवं कचनपुर में पायलट समाजिक अंकेक्षण कराने का निदेश प्राप्त है।

उक्त निदेश के आलोक में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई दिनांक 01.04.2015 के ज्यूरी (निर्णायक समिति) सदस्य :-

1. जिला के प्रतिनिधि - पी0एम0आर0डी0एफ0 अरविन्द लकड़ा
2. श्रम विभाग के प्रतिनिधि - श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, छत्तरपुर।
3. पंचायत समिति सदस्य, छत्तरपुर
4. पंचायत के मजदूर संगठन द्वारा नामित सदस्य
5. समाजिक कार्यकर्ता - श्री जवाहर मेहता

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त निर्णायक समिति के सदस्यों का अपने स्तर से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

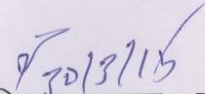


उप विकास आयुक्त -सह-
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू।

ज्ञापांक 161/...../मनरेगा, दिनांक 26/03/15

प्रतिलिपि :- संबंधित निर्णायक समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, छत्तरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप विकास आयुक्त -सह-
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू।